कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–173/२५१६ रायपुर, दिनांक 31/12/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– **Diversion for Forest land for non-forest purpose under forest conservation Act.1980 Proposed for construction of 765 kv D/c Dharamjaigarh- Raigarh (Tamnar) Pool Transmission line under three forest Division of Chhattisgarh State for "Additional System for Power Evacuation from Generation Projects Pooled at Raigarh (Tamnar) Pool" area 137.014 ha- regarding.**
पंजीयन कमांक– FP/CG/TRANS/35105/2018

संदर्भः– छ.ग. शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–21/2019/10–2 दिनांक 24.11.2020

-00-

विषयांकित वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का प्रस्ताव राज्य शासन, वन विभाग को भू–प्रबंध प्रभाग के पत्र दिनांक 22.11.2019 के माध्यम से भेजा गया था जिसके बिन्दु क्रमांक 42 पर निम्नानुसार लेख किया गया थाः–

"वन मंडलाधिकारी कोरबा ने लेख किया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र में एलीफेन्ट रिजर्व घोषित करने हेतु वर्तमान में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। इसके अलावा प्रपत्र–3 में मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर ने लेख किया है कि प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन के 10 कि.मी की परिधि में वन्य प्राणी संरक्षण एवं विलुप्त प्रजाति हेतु Habitat Development, पेय जल व्यवस्था सहित विस्तृत वन्य प्राणी योजना एवं वन क्षेत्र में पाये जाने वाले पक्षियों के संवर्धन हेतु विस्तृत पक्षी संवर्धन योजना आवेदक संस्थान के व्यय पर प्रस्तावित करते हुए वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।"

छ.ग. शासन वन विभाग के संदर्भ पत्र द्वारा उक्त उल्लेखित बिन्दु पर वन्य प्राणी से संबंधित तथ्यों में भारत सरकार के अद्यतन दिशा निर्देश के साथ तथ्यात्मक टीप प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है। उपरोक्त के अनुक्रम में दिशा निर्देश यह है कि –

1. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वन्य प्राणी डिवीजन नई दिल्ली के पत्र कमांक एफ नं. 11–596/2012 एफ.सी दिनांक 27.12.2012 (छाया प्रति संलग्न) से विद्युत ट्रांसमिशन लाईन के कार्यो के संबंध में जारी दिशा निर्देश अनुसार जिन प्रकरणों में EIA अधिसूचना 2006 में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है ऐसे प्रकरणों में संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी की परिधि में कराये जाने वाले विद्युत ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

2. EIA अधिसूचना 2006 में जिन प्रकरणों में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है उन्हें तालिकाबद्ध किया गया है। इस तालिका में ट्रांसमिशन लाईन नहीं है जिसे स्पष्ट है कि ट्रांसमिशन लाईन के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ वर्तमान में एलीफैंट रिजर्व केवल प्रस्तावित है। ऐसी दशा में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वन्य प्राणी डिवीजन नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 27.12.2012 अनुसार कार्यवाही किया जाना उचित है अर्थात इस प्रकरण में वन्य प्राणी क्लीयरेंस को नेशनल बोर्ड फार वाईल्ड लाईफ नई दिल्ली से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

3. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर के द्वारा प्रस्ताव में संलग्न निर्धारित प्रपत्र 3 में जो वन्य प्राणी संबंधी अनुशंसा की गई है उसके आलोक में आवेदक संस्थान के व्यय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित कार्य आयेाजना का कियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। आवेदक संस्थान द्वारा यह वचन पत्र भी दिया गया है कि विषयांकित वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण में भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तथा सशर्त अनुशंसा में अधिरोपित समस्त शर्तो के स्वयं के व्यय पर कियान्वयन हेतु आवेदनकर्ता वचनबद्ध है।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न– 1. भारत सरकार का पत्र दिनांक 27.12.2012 की छाया प्रति (1 पृष्ठीय)
2. आवेदक संस्थान का वचन पत्र (1 पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़